न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 24 / 24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024 / 134

बउनवानी:–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, ज़िला सवाई माधोपुर

बनाम

श्री पारस सैनी पुत्र श्री छीतर माली नियासी कुस्तला कोटा रोड़ सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा वकील अप्रार्थी

–: निर्णय :– दिनांक 13.8.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 26.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म कान्हा रेस्टोरेन्ट कुस्तला रोड़ सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 3 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।.

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी सुनी गयी।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रंवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्रीमति पूजा मीना प्रर्वतन निरीक्षक, बहमराह, श्री कीर्तेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक, सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 26.9.2024 को अप्रार्थी की मैसर्स कान्हा रेस्टोरेंट कुस्तला रोड सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री पारस सैनी पुत्र छीतर माली निवासी कुस्तला कोटा रोड़ सवाईमाधोपुर उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 3 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 3 गैस सलेण्डर 14.2 किग्रा कम्पनी आईओसीएल अप्रमाणित को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स रेणु एण्टरप्राईजेज, सवाईमाधोपुर के प्रतिनिधि दिनेश बैरवा पुत्र राकेश बैरवा निवासी पचाला को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये सिलेण्डर का भार किग्रा	शुद्ध गैस वजन किग्रा
1	आईओसीएल	118530	15.500	[illegible]	6.500
2	आईओसीएल	873414	15.600	[illegible]	0.400
3	आईओसीएल	191949	15.500	[illegible]	9.500
	कुल गैस भार		46.60	63.00	16.40

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

(कान्ना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया कि यह प्रकरण जॉच दल द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व निराधार तथ्यो के आधार पर बनाकर मेरे उपर घरेलू गैस सलेण्डर को अवैध भण्डारण का आरोप बिल्कुल गलत है। क्योकि उक्त जब्त गैस सलेण्डर मे से दो गैस सलेण्डर उपभौक्ता छीतरलाल पुत्र भेरूलाल सैनी निवासी कुस्तला के व एक गैस सलेण्डर अप्रार्थी स्वंय पारस सैनी का है जो घरेलू गैस सलेण्डर होने के कारण घरेलू काम मे आते है। उक्त गैस सलेण्डर जॉच दल द्वारा रेस्टोरेन्ट मे रखे होने के कारण जब्त किये गये है जबकि उक्त गैस सलेण्डर को भरवाने हेतु रेस्टोरेन्ट मे रखे हुए थे जिनको जॉच दल द्वारा जब्त कर लिया है। वरवक्त जब्ति कार्यवाही अप्रार्थी द्वारा उक्त गैस सलेण्डर के दस्तावेज दिखाना चाहा किन्तु जॉच दल द्वारा प्रार्थी की एक नही सुनी । प्रार्थी द्वारा अपनी फर्म के लिए व्यवसायिक गैस कनेक्शन ले रखा है तथा व्यवसायिक गैस सलेण्डर ही फर्म पर उपयोग मे लिये जा रहे है किन्तु जॉच दल द्वारा इस तथ्य की पुष्टि अपनी रिपोर्ट मे नही की गयी है। जिन उपभौक्ताओ के गैस सलेण्डर है उनको खाना बनाने मे काफी समस्या आ रही है इसलिए सलेण्डर सुपुदर्गी मे दिया जावे अन्यथा उनका परिवार को भूखा मरने की नोबत आ जावेगी। यह प्रकरण महज खाना पूर्ति एवं अपने आकडे बढाने के लिए बनाया गया है। अतः अप्रार्थी की फर्म पर अप्रार्थी विरूद्व की गयी कार्यवाही ड्रोप कर प्रकरण मे जंब्त 3 गैस सलेण्डर मुझ अप्रार्थी को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी को सुनने एवं संबंधित पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर द्वारा दिनांक 26.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित कारण नही बताया गया है। जहॉ तक जब्त किये गये सलेण्डर मे से एक सलेण्डर फर्म मालिक के घरेलू कार्य हेतु तथा दो सलेण्डर उपभौक्ता छीतर माली का होना बताया है ओर गैस भरवाने हेतु फर्म पर रखने बाबत किये गये कथन के समर्थन में कोई विधिक साक्ष्य सबूत पेश नही किया गया। इसके अतिरिक्त उक्त जब्त किये गये 3 गैस सलेण्डर मे से एक गैसे सलेण्डर मे 6.500किग्रा एवं दूसरे मे 9.500 किग्रा गैस वरवक्त जब्ति कार्यवाही मोजूद थी इस अप्रार्थी का उक्त कथन कि गैस भरवाने हेतु दुकान पर रखे गये थे क्योकि दो सलेण्डर तो खाली थे ही नही तो गैस भरवाने का क्या औचित्य है। संबंधित उपभौक्ता द्वारा उक्तानुसार जब्त गैस सलेण्डर की सुपुदर्गी बाबत कोई प्रार्थना पत्र न्यायालय मे पेश नही किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अनुसार उक्तानुसार जब्त किये गये घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य मे अवेद्य उपयोग होने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सलेंण्डर रखने अथवा उपयोग के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐंसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक स0मा0 द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 3 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 3 गैस सलेण्ड[illegible] नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल[illegible] होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को खुले न्यायालय मे लिखाया [illegible] सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:07 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner